

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860**

No. 9/23365 of 1992.

I hereby certify that महाराजा अजमोद (स्वर्णकार) -
विकास संघ दिल्ली

has been registered under the SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

GIVEN UNDER MY HAND AT DELHI on this 18th day of
September, one thousand nine hundred and
ninety two.

Registration Fee of
Rs. 50/- received.

Seal
Registrar of Societies
Delhi



[Signature]
Registrar of Societies
Delhi Administration
Delhi

PLEASE QUOTE THIS NUMBER IN ALL YOUR FUTURE CORRESPONDENCE.

THIS document is a true copy of its
REGISTRAR OF SOCIETY DELHI
under RTI Act/Court Orders
CERTIFIED TO BE TRUE COPY
REGISTRAR OF SOCIETY DELHI

(1860)

संस्था-विभागीय

1. संस्था का नाम :- गणराजा समीक (सर्वांगीण) विद्यालय,
दिल्ली/राज्य ।
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय :- संस्था का पंजीकृत कार्यालय केन्द्र
साथिल प्रवेश, दिल्ली नई बंदी बंगला, बंगला नई
गांधी विद्यालय परिसर :- 23, वैदिक युद्ध केंद्र नगर,
दिल्ली नई-11, दिल्ली-110002 ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण दिल्ली राज्य ।
4. संस्था के उद्देश्य :- समाज के सभी बच्चों को नैतिक, सामाजिक,
शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से
उत्कर्षित करने का प्रयास करना ।
5. समाज के अल्प वृद्ध आर्थिक विद्यार्थियों व बच्चों के मरण-मोचन
रूप में उनकी शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबन्ध करने का प्रयास करना
एवं प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति आदि
देकर प्रोत्साहित करना ।
6. समाज हितार्थ एवं पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए
व्यवस्थित कार्यक्रमों का संचालन करना जिनके अन्तर्गत
निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यन्वित करना :-

(क) शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय, धर्म निमित्तालय की स्थापना
एवं संचालन आदि का प्रबन्ध करना ।

(ख) समाज में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के दस्तावेजों के बिना
नई शिक्षा पद्धति के अनुसार (के अनुसार) शिक्षा के बिना
जानकारी देना ।

This document is true copy of
Original/Copy filed with the
Registrar without Certifying
its contents. It is issued
under the Act/Court Orders.
Registrar of Societies

34

Handwritten signature

(ग) ~~प्रोडक्शन कार्यालय एवं नमिदावों के लिए सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करना ।~~

Handwritten signature

(घ) सामाजिक कृतियों के उन्मुख के लिए प्रयास करना।

(ङ) सामुहिक विवाहों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्ग को सहेज से सुका करना ।

७. इस संस्था की आय केवल संस्था के उद्देश्यों के लिए ही व्यय की जायेगी । " समिति की चल या अचल संपत्ति से प्राप्त जारी आय, कमाई वन्तर्नियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग की जायेगी तथा लगाई जायेगी- तथा इसका कोई भी लाभ समिति के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के या वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों को भुगतान नहीं दिया जायेगा या लाभ प्राप्त नहीं करेगा या किसी प्रकार से समिति का कोई भी सदस्य समिति की किसी प्रकार की चल या अचल संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के आधार पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा ।



This document is true copy of its Original/Copy filed with the Registrar without Certifying/ verifying its contents. It is issued under RI / Act/Court Orders.

Registrar of Societies

10. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के कक्षाप्रभागी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 [पंजाब संशोधित अधिनियम की धारा 2] के अधीन तथा अपेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों जिनको व्यवस्था कार्य सौंप गए हैं

क्र.सं	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री बालकिशन अष्टूपिया	1333, लंगल रस्ता पहाड़, गौरी दिल्ली 55 एल-113/8, जगत राम मोकीट, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92 देली. 2247765	व्यापार	प्रधान
2.	चन्द्रप्रकाश वर्मा	239, वेस्ट नुरुअंगद नगर गली नं0 11, दिल्ली-92	नौकरी	महामंत्री
3.	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	एफ-144 मेन बाजार लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	व्यापार	लोपाध्यक्ष
4.	किशन चन्द वर्मा	एस-65, सुन्दर ब्लॉक शाकरपुर दिल्ली 92	सेवानिवृत्त	प्रचार एवं संगठनमंत्री
5.	देवेन्द्र वर्मा	82ए, गली नं0 5, लक्ष्मी नगर दिल्ली 92	नौकरी	सहमंत्री
6.	विनोद कुमार सनपेड़िया	डी-45, जगत विहार दिल्ली-92	व्यापार	
7.	विनोद कुमार वर्मा	जे-एक्स 3/74, लक्ष्मीनगर दिल्ली-92	व्यापार	क्षेत्रीय संगठनमंत्री
8.	हंस राज वर्मा	एस-112ए, सुन्दर ब्लॉक, दिल्ली-110092	नौकरी	कार्यकारिणी सदस्य
9.	परसराम तोसावड़	1/596, वेस्ट नुरु अंगद नगर, दिल्ली-92		
10.	ओम प्रकाश वर्मा	एम-23, जगत राम पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92		
11.	शीतल प्रसाद सिंह	डी-18, गली नं0 1 लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.		



This document is true copy of its Original/Copy filed with the Registrar without Certifying/verifying its contents It is issued under R/S Act/Court Orders.

Registrar of Societies

9. एम अधोहस्ताक्षरी संस्था के जापन का अनुसरण करते हुए संघ राज्य दिल्ली में यथाप्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 (1) पंजाब संशोधित अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के अधीन 'महाराजा अजमीद [स्वर्णकार] विकास संघ के नाम से संस्था की स्थापना के इच्छुक हैं :-

क्र.सं	नाम	पता	सं.पद	हस्ताक्षर
1.	श्री बालकिशन अधूपिया	1333, (नेहरू रोड) गौडी इलेक्ट्री 55 एन-एल-113/8, जगत राम मार्केट, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92 देली. 2247765	प्रधान	
2.	चन्द्रप्रकाश वर्मा	239, वेस्ट गुरुअंगद नगर गली नं० 11, दिल्ली-92	महामंत्री	
3.	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	एफ-144 मेन बाजार लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	कोषाध्यक्ष	
4.	किशन चन्द वर्मा	एस-65, सुन्दर ब्लाक शकरपुर, दिल्ली-92	प्रचार एवं संगठनमंत्री	
5.	देवेन्द्र वर्मा	जे-8, गली नं० 5, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92	सहमंत्री	
6.	विनोद कुमार सनपौड़िया	डी-12, प्रीत नगर, दिल्ली-92	क्षेत्रीय संगठनमंत्री	
7.	विनोद कुमार वर्मा	जे-एक्स 3/74, लक्ष्मीनगर दिल्ली-92	क्षेत्रीय संगठनमंत्री	
8.	हंस राज वर्मा	एस-112ए, सुन्दर ब्लाक, दिल्ली-92	कार्यकारिणी सदस्य	
9.	परसराम तोसावड़	एम-23, जगत राम पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92		
10.	ओम प्रकाश वर्मा	एम-23, जगत राम पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92		
11.	शीतल प्रसाद सिंह	डी-18, गली नं० 1, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.		



This document is a copy of its Original filed with the Registrar without Certifying its contents. It is issued under RTI Act/Court Orders.

Registrar of Societies

संघ संघ (स्वर्णकार) विकास संघ
 २३६, वैस्ट गुरुकुल नगर, गली नं०-११, दिल्ली-११००६२.

की
निगमावली

१. सदस्यता :- समाज का कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली निवासी हो तथा व्यस्क हो और संस्था के नियमों व उद्देश्यों में आस्था रखता हो, वह इस समाज की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। यदि समिति किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से अस्वीकार करेगी तो उसकी सूचना भी देगी।

सदस्यता शुल्क :- सदस्यता ग्रहण करने के लिए ५) रुपये प्रवेश शुल्क व ५) - रुपये प्रति वर्ष चरखा प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य होगा, और ३) माह अग्रिम शुल्क वार में देना होगा।



नोट:- सदस्यता शुल्क सर्व समाज समय-समय पर आम समाज की अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है।

२. जुनाव पद्धति :- कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव आम समाज में होना तथा आम समाज में जिसकी उपस्थिति हुए सदस्यों का ५० प्रतिशत होना आवश्यक होगा।

क) आम समाज में प्रधान, महामंत्री, कोषाध्यक्ष तथा प्रचारमंत्री, संघटन मंत्री, सह-मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री व कार्यकारिणी सदस्यों का जुनाव होगा।

ख) अधिकारिक रूप से कोई भी सदस्य जिसका नाम चरखा वा गया हो वह उपरोक्त चारों पदों के लिये उम्मीदवार हो सकता है।

This document is true copy of its original/Copy filed with the Registrar of Societies, Delhi. Verifying its contents. It is under RI / Act/Court Order.

ग) पद के जुनाव के लिए उपरोक्त चारों उम्मीदवारों को ५/५ (पांच) सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा जो उस पद का दावेदार हो सकता है।

Registrar of S

पंजीकृत सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होगा ।

घ) जुनाव कार्य:- आम सभा के जुनाव के लिए सर्वप्रथम महामंत्री आम सभा से एक निष्पक्ष जुनाव अधिकारी जिस पर आम सभा की सहमति हो, को मनोनीत करेंगे/जिसकी देश-रेस में जुनाव कार्य सर्वसम्पत्ति द्वारा या अप्रत्यक्ष नोटिंग द्वारा सम्पन्न होगा । महामंत्री जुनाव कार्य में जुनाव अधिकारी की मदद करेंगे । जुनाव अधिकारी अपने मत का प्रयोग केवल संगठन की हितों पर ही करेंगे, जिसका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा ।

पंजीकृत सदस्य:- वह व्यक्ति जिसका एक वर्ष का पूरा चन्दा जमा होगा ।

३. आम सभा के कार्य

समिति के समस्त सदस्यों को सक्रिय करके आम सभा के काम में सहन दिया जायेगा ।

(क) कार्यकारिणी के उपरोक्त पदों के लिये जुनाव करना ।

(ख) कार्यकारिणी को संघ के विकास कार्य हेतु उचित वादेश व सम्पत्ति देना ।

(ग) वार्षिक रिपोर्ट व आय-व्यय बजट कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद आम सभा में पास करना ।

(घ) आम सभा के सभी सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह कार्यकारिणी के सदस्यों से उनके कार्य का व्यौरा मांगें और उसकी आम सभा की टिप्पणी के लिए रहे ।

(ङ) आम सभा अपने छुने हुए प्रतिनिधियों को पुनः मनोनीत करने का अधिकार होगा, यदि उनका कार्यकाल समाप्त हो । आम सभा की बैठक में २/३ सदस्यों से गणपूर्ति होगी । आम सभा की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी । इसकी सूचना १५ दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी ।



This document is true copy of the Original/Copy filed with the Registrar without Certifying/Notarizing its contents. It is issued under the provisions of the Societies Registration Act/Course Orders.

ग) कार्यकारिणी को अधिकार है कि वह संस्था के विधान में लिखित उद्देश्यों की पूर्ति आया कार्यान्वयन हेतु सम्पत्ति के फल व फल सम्पत्ति के भ्रम, रूढ़न व पट्टे का कार्य कर सकती है, और वह सम्पत्ति के विषय का कार्य कर सकती है ।

घ) यदि कार्यकारिणी का कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य संस्था के नाम से कोई कृतचित्त कार्य करता है तो कार्यकारिणी उस व्यक्ति से पूछताछ का अधिकार रखती है, तथा उसके विरुद्ध उचित कानून उठा सकती है ।

ङ) कार्यकारिणी का का कार्यकाल एक वर्ष होगा (अप्रैल से मार्च) ।

च) संस्था का कोई भी विवादास्पद मामला स्थानीय न्यायालय (दिल्ली) में ही हो सकेगा ।

५. जाय के साक्ष :- संस्था की जाय का साक्ष मुख्यतः तबस्यता पुस्तक, कतुदान, चन्दों द्वारा ही होगा । समिति की समस्त जाय उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग किया जायेगा ।

६. कोष :- जमा का स्वयं दिल्ली राष्ट्रीय कृषा बैंक में जमा के नाम से ही जमा रहेगा । बैंक से ५००)०० (पांच लो रुपये) तक निकालने के लिये कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रधान के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं तथा इससे अधिक रकम निकालने के लिये कोषाध्यक्ष, प्रधान एवं महामंत्री तीनों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे ।

कार्यकारिणी का स्वयं

- ७. १) प्रधान --- १ ✓
- २) महामंत्री --- १ ✓
- ३) सहमंत्री --- २ ✓
- ४) प्रचार एवं संगठन मंत्री - १ ✓

(Signature)

कोषाध्यक्ष --- १ ✓
कार्यकारिणी स्वयं ४ ६ १५ तक

This document is true copy of its Original. Copy filed with the Registrar without Certifying/ verifying its contents. It is issued under RTI Act/Court Order

Registrar of S...

८. कार्यकारिणी के सदस्यों के अधिकार :-

अ- प्रधान :- सभा की अध्यक्षता करना तथा महामंत्री को परामर्श देना एवं कार्यकारिणी की सभा को सुचारु रूप से चलाना और उसे नियंत्रित करना ।

ब- आवश्यकता पड़ने पर अपने इच्छा से संस्था के कार्यों के लिये २२०)०० तक संच करने का अधिकार होगा जिसे अनुमोदन बाद में कार्यकारिणी की बैठक में करवाना आवश्यक होगा ।

९. महामंत्री :-

क) सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तथा कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत करने के लिये प्रधान की सलाह देना । सभा की कार्यवाही रखना नियमों को कार्यान्वित करना । पत्र व्यवहार करना और सभा के हर कार्य को सुचारु रूप से चलाना आदि ।

ख) वार्षिक रिपोर्ट और आय-व्यय का वार्षिक हिसाब कार्यकारिणी तथा आम सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

ग) महामंत्री को एक समय से संच के कार्यों के लिये २००)०० तक निजी राय से तथा ५००)०० तक अध्यक्ष की अनुमति से संच करने का अधिकार होगा । इसके अधिक के लिये कार्यकारिणी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

Handwritten signature/initials

द- महामंत्री/सचिव :- महामंत्री के कार्यों में सहायता करना और महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल करना ।

११. प्रचार एवं संगठन मंत्री :-

प्रधान एवं महामंत्री की अनुमति से संगठन का कार्य करना और उचित रूप से सभा की संख्या बढ़ाना । अध्यक्ष अथवा महामंत्री के साथ संच के कार्यों में आवश्यक दौरों के कार्यक्रम बनाना ।

English text: This document is the copy of its... with the Registrar without Certifying/verifying its contents. It is issued under RTI Act/Court Orders.

१२. पौत्रीय संगठन मंत्री :-

अपने अपने कार्यक्रमों में महामंत्री के साथ *Ministry of Societies* के कार्यों में सहायता करना । जैसे बैठकों का आयोजन व अन्य प्रचार

१६.

त्याग-पत्र :-

कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ज़ावा पदाधिकारी की किराई कारणवश त्याग-पत्र दे सकता है । परन्तु त्याग पत्र स्वीकृत होने तक पुराने सदस्यों को अपना दायित्व संभालना होगा । कार्यकारिणी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि उन रिक्त स्थानों के लिए यदि उनकी संख्या तीन तक हो तो, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सदस्यों की मनोनीत करे ।

परिचय :-

यदि विधान या शपथ पत्र में परिचय के विषय का अंग जमा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या का सहमत होना आवश्यक होगा । आम जमा की बैठक को बुलाने के लिए 30 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होगा । सभी संशोधन प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० धारा १२ और १२-ए के अनुसार होगा ।

संस्था प्रति वर्ष पंजीकरण कार्यालय को प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० धारा ४ के अनुसार कार्यकारिणी के सदस्यों को सूची भेजा करेगी । संस्था पर या संस्था के द्वारा



---जारी


This document is the copy of its Original/Copy filed with the Registrar without Certifying/verifying its contents. It is issued under RI Act/Court Orders.

Registrar of Societies

Signature

किसी भी न्यायिक मामलों को यथाप्रभावी पंजीकरण अधिनियम 1860 धारा 6 के अनुसार प्रदान/सुखी देखेंगे। यदि संस्था का निपटन करना कभी आवश्यक हुआ तो वह यथाप्रभावी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार ही हो सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 [पंजाब संशोधन अधिनियम 1957] के समस्त उपबन्ध इस समिति पर लागू होंगे। महाराजा अजमीद [स्वर्णकार] विकास संघ, दिल्ली की कार्यकारिणी समिति के हम निम्नलिखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि यह समिति के नियम व उपनियम की सत्य प्रतिलिपि है।

- | क्र.सं | नाम | पता | पद | हस्ताक्षर |
|--------|----------------------------|--|------------|------------------|
| 1. | श्री बाल किशन अष्टूपिया | पता 1333 मंगल पाश पहाड, एल-113/8, जगतयम, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92 | प्रधान | <i>Signature</i> |
| 2. | श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा | वेस्ट अंगद नगर, गेट नं 11, दिल्ली-92. | महामंत्री | <i>Signature</i> |
| 3. | श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा | एल-114 मेन बाजार लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92. | कोषाध्यक्ष | <i>Signature</i> |



Signatures
from 1 to 3
10.7.92

L. S. RANA
 MA, LLB, ADVOCATE
 Chambers No. 45B,
 Civil Side,
 Hazari Courts, Delhi,

This document is true copy of its Original/Copy filed with the Registrar without Certifying/ verifying its contents. It is issued under R.I. Act/Court Orders.

Signature
Registrar of Societies